प्रेषक,

सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

यू०एस०डी०एम०ए०

देहरादून, दिनांक ्य अप्रैल, 2020

विषय:

COVID-19 के अर्न्तगत लगाये गये देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान SEBI द्वारा प्राधिकृत शेयर बाजार से सम्बन्धित संस्थाओं को छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच.ओ.) द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किये जाने के क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के उदेश्य से सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लगाया गया है।

उक्त के क्रम में मंत्रीमण्डल सचिव, भारत सरकार के पत्र संख्या—1/4/SM/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अवगत करवाया जाना है कि SEBI द्वारा प्राधिकृत शेयर बाजार से सम्बन्धित संस्थाओं को लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कर्मचारियों की सेवा लिये जाने तथा इस हेतु प्रतिदिन निवास स्थान से कार्य स्थान तक यात्रा करने की अनुमित दिये जाने के लिये सम्बन्धित को यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

्अमित सिंह नेगी) सचिव

प्रतिलिपिः आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(अमित सिंह नेगी) सचिव। राजीव गौबा Rajiv Gauba



मंत्रिमंडल सचिव भारत सरकार CABINET SECRETARY GOVERNMENT OF INDIA

D.O.No. 1/4/SM/2020

23<sup>rd</sup> March, 2020

Deal Chief Searchary

It is understood that to contain the spread of COVID-19, many State Governments have taken various steps including imposition of stringent restrictions under Epidemic Disease Act, 1987 and regulations framed thereunder to curb non-essential movement, prevent gathering of people and promote social distancing. Many states are also implementing lockdowns wherein all activities other than certain exempt category of services, have been put under closure.

In this regard, it is pertinent to mention that Stock Markets are critical for the economy and as such its various constituents are important financial market institutions. Therefore, you are requested to keep services of SEBI regulated Stock Market Entities to be exempted from the purview of the lock-down. Further, the essential staff related to these agents should be allowed to commute so as to ensure that these establishments function smoothly.

with regards

Yours sincerely,

(Rajiv Gauba)

To

Chief Secretaries/Administrators of the States/UTs (as per list enclosed)